हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा
(ii) दिन के लिए		उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा
(ii) दिन के लिए		पटल पर रखे जाएंगे।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें :**

   (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, सलाहकार (योजना), ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीएलजी (ए) 3-4/2017-लूज़, दिनांक द्वारा 23.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.02.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-1(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: जे0एस0वी0-ए-ए(3)-1/2023, दिनांक द्वारा 11.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 12.02.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (3) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 की धारा-क (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री,** बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) आठवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-11/2024-II, दिनांक द्वारा 15.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 17.01.2026 को प्रकाशित; और

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नौवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-14/2024-IV, दिनांक द्वारा 17.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 19.01.2026 को प्रकाशित।

(6) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(7) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तुतीकरण एवं पारणः

(i) सामान्य चर्चा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण।

4. विधायी कार्य:

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1)	होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1)	होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 16 फरवरी, 2026 को **श्री सुरेश कुमार,** सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा **श्री कुलदीप सिंह राठौर,** सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का 16 फरवरी, 2026 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं ।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 18 मार्च, 2026 सचिव।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)